भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1870
दिनांक 03.08.2016/12 श्रावण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र में कचरे वाली गाड़ी द्वारा ध्वनि प्रदूषण

†1870. श्री शिव प्रताप शुक्ल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की कचरे वाली गाड़ी अपनी कर्णभेदी घोषणाओं से प्रतिदिन ध्वनि प्रदूषण फैलाती है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस कर्णभेदी घोषणाओं का कोई बेहतर विकल्प ढूंढ़ने पर विचार कर रही है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क) से (ग) : एन.डी.एम.सी. एक निगमित निकाय है, जो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिनियम, 1994 के उपबंधों के तहत कार्य करती है। केन्द्र सरकार एन.डी.एम.सी. के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सूचित किया है कि घोषणा, एन.डी.एम.सी. क्षेत्र में कचरे को द्वार-द्वार पर संग्रहण के लिए कचरा संग्रहण वाहनों के आगमन के बारे में केवल लोगों को सूचित करने के लिए है। यह प्रात: 7.00 बजे से आरंभ होती है और इसकी डेसीबल ध्वनि अन्य वाहनों और सड़क पर उनके हॉर्न से कम होती है। गृह मंत्रालय ने एन.डी.एम.सी. को किसी ध्वनि प्रदूषण के लिए, घोषणा के डेसीबल स्तर का परीक्षण करने और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी है।

*****